

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 125 / 2020-21

लेख्य प्रकार - स. देहात्मक जमाबंदी


3/11/20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखके अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निदेशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0म0 नीति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुदेश/निदेश के अनुपालन में गै0 म0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदियों की जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 म0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा	जमाबंदीदार रैयत का नाम	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
कोनहरखु	01	-	0.42	9-यज महर्जा सुभा सीरपत महर्जा	100/1

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
बरकट्टा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जाँच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0.100/1 बनाम 9-यज महर्जा को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की 3/11/20 की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही को भेजें।


अंचल अधिकारी
बरकट्टा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - कल्याण-बाहरी गिरी अक्षय गहवा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- डी० २४२५

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कौनहाराबुडे</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>-</u>	<u>०.५२</u>
3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं०-१६० पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - १९७८-७९
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- डी० २४२५
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है बाबू देव दंडी मही
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूदोवरती - -
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी-11
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या

लगान रसीद संख्या

रसीद निर्गत तिथि

नरसूली नं०

5649098

28-02-11

2009-10

29/11/2010

